संख्या:253/2015/2555जेएल/22-3-15-100(68)/2012

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी प्रदीप सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र श्री समलजीत सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31074/सामा-1(3)/17 भाग-2/नैनी मं0/2011, दिनांक 31-07-2015 में की संस्तुति एवं मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी प्रदीप सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र श्री समलजीत सिंह को केन्द्रीय कारागार, बरेली स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-3454/2015-डब्बू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:253/2015/2555जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in